-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2019 में थाना नरैनी क्षेत्र में व्यक्ति की लाठी-डण्डे से मारकर गैर-इरादतन हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 07-07 वर्ष के कारावास व 11-11 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2019 में थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम नन्दवारा में व्यक्ति की लाठी-डण्डे से मारकर गैर इरादन हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 29.03.2019 को थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम नन्दवारा के रहने वाले राममुरत उर्फ बाबूलाल पुत्र बेटा सिंह को गांव के ही रहने वाले 1-बाबू, 2-वीरसिंह, 3-रामजस व 4-दीपू पुत्रगण रामदयाल द्वारा मामूली विवाद को लेकर लाठी-डण्डे से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिनको इलाज हेतु कानपुर ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक के भाई रामशरन की तहरीर पर थाना नरैनी पर **मु0अ0सं0 64/19 धारा 304/506/34 भादवि** का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी **विवेचना उ0नि0 श्री बृजकिशोर मिश्रा** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक **श्री विजय बहादुर सिंह व श्री उमाशंकर पाल** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भानू प्रताप तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी सुनील कुमार** के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा **07-07 वर्ष के कारावास व 11-11 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. बाबू पुत्र रामदयाल निवासी नन्दवारा थाना नरैनी जनपद बांदा।
2. वीरसिंह पुत्र रामदयाल निवासी नन्दवारा थाना नरैनी जनपद बांदा।
3. रामजस पुत्र रामदयाल निवासी नन्दवारा थाना नरैनी जनपद बांदा।
4. दीपू पुत्र रामदयाल निवासी नन्दवारा थाना नरैनी जनपद बांदा।